उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-8

संख्या-16/2021/2261/23-8-2021-28(पी0डब्ल्यू0)अधि0/17

लखनऊ : दिनांक: 09 दिसम्बर 2021

कार्यालय ज्ञाप

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008 दिनांक 05.11.2014 (यथासंशोधित) में अंकित व्यवस्था तथा स्क्रीनिंग कमेटी की आख्या/संस्तुति के क्रम में श्री देवेन्द्र सिंह अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1 लोक निर्माण विभाग खीरी को 26 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 04.03.2021 से ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अच्युतानन्द

अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज।

2- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक-937ईएजी/29ईए(ए0सी0पी0)/2019 दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में।

3- स्टाफ आफिसर कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

5- संबंधित अधिकारी द्वारा स्टाफ आफिसर कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

6- कार्यालय आदेश पुस्तिका/डाटा प्रभारी।

आज्ञा से

(अच्युतानन्द)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।